भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1481
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान उत्पादक संगठनों का विकास

1481. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्तमान में देश भर में कार्यशील किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार तथा बापतला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश भर में किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों में एफपीओ के विकास के लिए कोई योजना/पहल आरंभ की है;
(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं/पहलों की सूची क्या है और विगत पांच वर्षों में राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार तथा विशेषकर उक्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने सम्पूर्ण भारत में एफपीओ हेतु शिकायत निवारण तंत्र के कार्य में तेजी लाने हेतु कोई प्रक्रिया आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): "10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन" हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकृत एफपीओ की राज्यवार आंकड़े **अनुबंध-I** में संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत जिलेवार एफपीओ की आंकड़े **अनुबंध-II** में संलग्न है। आंध्र प्रदेश के बापतला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त योजना के अंतर्गत 67 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

(ख) से (घ): एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन" हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना वर्ष 2020 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों में 18 लाख रुपए की एफपीओ प्रबंधन लागत उपलब्ध है। एफपीओ प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं (प्रति किसान 2000 रुपए के अंशदान के स्थान पर)। इसके अतिरिक्त, यह योजना पात्र ऋणदाता संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज और अन्य सरकारी योजनाओं के संयोजन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत एफपीओ को किए गए भुगतान का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है, जबकि बापतला जिले सहित आंध्र प्रदेश राज्य में एफपीओ को किए गए भुगतान का जिलावार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ): इस योजना के अंतर्गत एफपीओ के लिए एमआईएस पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र चालू है। एफपीओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), लेखाकार और निदेशक मंडल (बीओडी) एमआईएस पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

अनुबंध-I

10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत पंजीकृत राज्यवार एफपीओ

क्रम. सं.	**राज्य**	**पंजीकृत एफपीओ की संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7
2	आंध्र प्रदेश	714
3	अरुणाचल प्रदेश	171
4	असम	429
5	बिहार	696
6	छत्तीसगढ़	232
7	दादरा एवं नागर हवेली	2
8	गोवा	8
9	गुजरात	426
10	हरियाणा	179
11	हिमाचल प्रदेश	180
12	जम्मू-कश्मीर	330
13	झारखण्ड	367
14	कर्नाटक	351
15	केरल	176
16	लद्दाख	23
17	लक्षद्वीप	2
18	मध्य प्रदेश	642
19	महाराष्ट्र	589
20	मणिपुर	78
21	मेघालय	67
22	मिजोरम	49
23	नागालैण्ड	88
24	ओडिशा	471
25	पुडुचेरी	6
26	पंजाब	152
27	राजस्थान	589
28	सिक्किम	15
29	तमिलनाडु	465
30	तेलंगाना	617
31	त्रिपुरा	59
32	उत्तर प्रदेश	1275
33	उत्तराखण्ड	162
34	पश्चिम बंगाल	383
कुल योग		**10000**

अनुबंध -II

आंध्र प्रदेश में पंजीकृत एफपीओ की जिलावार संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	पंजीकृत एफपीओ की संख्या
1	एल्लूरी सीताराम राजू	31
2	एनकापल्ली	26
3	अनंथापुरमु	38
4	अन्नामय्या	30
5	बापतला	28
6	चित्तूर	32
7	पूर्वी गोदावरी	19
8	एलुरु	35
9	गुन्टुर	20
10	काकिनाडा	20
11	कोनासीमा	23
12	कृष्णा	25
13	कुरनूल	28
14	नंदयाल	32
15	एनटीआर	20
16	पालनाडु	39
17	पार्वथीपुरम मानयम	15
18	प्रकाशम	39
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	35
20	श्री सत्या साईं	23
21	श्रीकाकुलम	30
22	तिरुपति	36
23	विशाखापटनम	4
24	विजियानगरम	28
25	दक्षिण गोदावरी	20
26	वाईएसआर कडापा	38
कुल योग		**714**

अनुबंध -III

10,000 एफपीओ योजना के तहत एफपीओ को राज्यवार भुगतान

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य**	**पंजीकृत एफपीओ**	**जारी की गई इक्विटी अनुदान**	**जारी की गई एफपीओ प्रबंधन लागत**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7	0.13	0.26
2	आंध्र प्रदेश	714	14.22	25.03
3	अरुणाचल प्रदेश	171	1.92	8.58
4	असम	429	10.24	29.99
5	बिहार	696	15.29	40.12
6	छत्तीसगढ़	232	16.29	33.93
7	दादरा एवं नागर हवेली	2	0	0
8	गोवा	8	0.29	0.51
9	गुजरात	426	22.15	35.98
10	हरियाणा	179	8.16	12.07
11	हिमाचल प्रदेश	180	5.68	15.54
12	जम्मू-कश्मीर	330	4.78	16.14
13	झारखण्ड	367	7.53	21.96
14	कर्नाटक	351	23.85	32.73
15	केरल	176	7.59	12.21
16	लद्दाख	23	0.02	0.61
17	लक्षद्वीप	2	0.02	0.03
18	मध्य प्रदेश	642	28.76	50.1
19	महाराष्ट्र	589	30.98	42.1
20	मणिपुर	78	2.86	6.52
21	मेघालय	67	0.7	4.73
22	मिजोरम	49	0.99	3.88
23	नागालैण्ड	88	2.47	7.57
24	ओडिशा	471	18.2	45.04
25	पुडुचेरी	6	0.03	0
26	पंजाब	152	3.08	8.64
27	राजस्थान	589	29.91	49.81
28	सिक्किम	15	0.18	1.29
29	तमिलनाडु	465	27.61	39.02
30	तेलंगाना	617	15.31	24.69
31	त्रिपुरा	59	0.99	5.63
32	उत्तर प्रदेश	1275	52.61	90.75
33	उत्तराखण्ड	162	14.3	29.08
34	पश्चिम बंगाल	383	11.01	24.56
कुल योग		**10000**	**378.15**	**719.1**

अनुबंध - IV

आंध्र प्रदेश: **10,000** एफपीओ योजना के तहत एफपीओ को जिलेवार भुगतान

(रु. करोड़ में)

जिला	**पंजीकृत एफपीओ की संख्या**	**इक्विटी अनुदान**	**एफपीओ प्रबंधन लागत**
एल्लूरी सीताराम राजू	31	113.17	178.05
एनकापल्ली	26	13.20	74.12
अनंथापुरमु	38	126.58	201.35
अन्नामय्या	30	41.35	91.24
बापतला	28	34.50	68.96
चित्तूर	32	79.41	138.44
पूर्वी गोदावरी	19	64.37	115.15
एलुरु	35	117.57	155.40
गुन्टुर	20	18.52	70.83
काकिनाडा	20	63.61	81.74
कोनासीमा	23	48.40	64.37
कृष्णा	25	49.82	101.12
कुरनूल	28	102.00	123.09
नंदयाल	32	22.27	82.32
एनटीआर	20	27.84	57.14
पालनाडु	39	62.80	114.00
पार्वथीपुरम मानयम	15	15.30	41.42
प्रकाशम	39	21.10	81.39
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	35	46.08	70.14
श्री सत्या साईं	23	45.08	74.68
श्रीकाकुलम	30	30.60	78.03
तिरुपति	36	75.46	114.87
विशाखापटनम	4	0.00	10.63
विजियानगरम	28	40.22	89.68
दक्षिण गोदावरी	20	51.40	39.34
वाईएसआर कडापा	38	112.15	185.12
कुल	**714**	**1422.78**	**2502.63**

*****